कार्यालय नगर निगम, हिसार।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़को, सार्वजनिक पार्को या सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरूद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रारम्भिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलों को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

उच्च आदेशों के पालन में सरकारी भूमि, ग्रीन बैल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा ले अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त भवनों को तोड़–फोड़ कर हटा दिया जाएगा, जिसमें होने वाले हर्जे–खर्चे के लिए उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वंय जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के विरूद्ध दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

हस्ता0
आयुक्त
नगर निगम, हिसार।